



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक

❖ थाना अतर्रा पुलिस अवैध देशी शराब के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से कुल 22 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों आदि की बिक्री/तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 11.02.2026 को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा अवैध देशी शराब के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि थाना अतर्रा द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को नगर पालिका के सामने कस्बा अतर्रा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक थैले में कुल 22 देशी क्वार्टर मस्तीह ब्राण्ड के बरामद हुए हैं।

बरामदगी-

➤ 22 क्वार्टर अवैध देशी शराब।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मनोज पुत्र राजाराम निवासी राजेन्द्र नगर नरैनी रोड कस्बा व थाना अतर्रा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➤ मु0अ0सं0 62/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार मिश्र
2. कां0 पंकज द्विवेदी
3. कां0 आदर्श तिवारी